निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1117) पटना, वृहस्पतिवार, 1 अक्तूबर 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

10 अगस्त 2015

सं0 22/नि0सि0(पट0)–03–12/2012/1775—श्री शशिरंजन कुमार पाण्डेय, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, नौबतपुर जब उक्त पद पर पदस्थापित थे (दिनांक 01.01.2000 से दिनांक 26.06.01 तक) तब उनके विरूद्व जल संसाधन विभाग की वहुमूल्य सरकारी जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन के अतिक्रमण करने में एवं उक्त जमीन पर बहुमंजिली इमारत निर्माण करने में अन्तर्लिप्त रहने, फर्जी दस्तावेज को सच्ची प्रतिलिपि मानकर उक्त जमीन की वर्ष 1999–2000 से 2001–02 तक रसीद काटने के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0–1108दिनांक 11.10.12 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15 दिनांक 07.01.13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाई गई।

उक्त निलंबन आदेश के विरूद्व श्री पाण्डेय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–19858/12 दायर किया गया जिसमें दिनांक 21.03.13 को पारित न्याय निर्णय में आदेश दिया गया कि चूँकि श्री पाण्डेय का निलंबन आदेश उक्त याचिका में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17.10.12 के आलोक में स्थगित है इसलिए दिनांक 11.10.12 से दिनांक 21.03.13 (न्याय निर्णय की तिथि) तक पूर्ण वेतन के हकदार है तथा दिनांक 22.03.13 से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के हकदार है। बकाया वेतन का भुगतान न्याय निर्णय प्राप्ति के एक माह के अन्दर किया जाय।

उक्त न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश सं0–87 सह ज्ञापांक 699 दिनांक 19.06.13 द्वारा श्री पाण्डेय को दिनांक 11.10.12 से दिनांक 21.03.13 तक पूर्ण वेतन का भुगतान करने तथा दिनांक 22.03.13 से इनका निलंबन प्रभावी रहेगा अतएव दिनांक 22.03.13 से नियमानुसार अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने का आदेश संसूचित किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। परन्तु मामले की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि जिस अतिक्रमित भूमि की लीज की रसीद उनके द्वारा काटा गया है, वह सही लीज है अथवा नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं की गई, जबकि तथाकथित लीज डीड के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। दस्तावेज में वर्ष का उल्लेख नहीं है, फिर भी उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज को सच्ची प्रतिलिपि के रूप में ग्राह्य करते हुए रसीद काटी गयी।

वर्णित स्थिति में उनके द्वारा बिना किसी छान बीन के और बिना अपने उच्चाधिकारियों के आदेश प्राप्त किये रसीद काटने एवं अपनी स्वार्थ सिद्वि को पूर्ण करने का आरोप प्रमाणित पाया गया। समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 104 दिनांक 20.01.14 द्वारा जॉच प्रतिवेदन से निम्नलिखित असहमति के विन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा किया गयाः–

'' विभागीय भू–खण्ड के लीज की प्रमाणिकता की बिना जॉच किये ही आपके द्वारा लीज रेन्ट की वसूली की गई जबकि लीज कागजात फर्जी थे। अतएव विभागीय बहुमूल्य भू–खण्ड का बिना किसी प्रमाण के आधार पर गलत ढ़ंग से रेन्ट रसीद निर्गत कर विभाग को भू–खण्ड से वेदखल करने की साजिश में आपकी संलिप्तता प्रमाणित होती है।''

श्री पाण्डेय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री पाण्डेय द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कहा गया है कि श्री पी0 आर0 गुहा, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, डिहरी प्रमण्डल, डिहरी के द्वारा दिनांक 03.03.47 को Home Street Land के लिए कैडेस्टल सर्वे 118 का 24 डि0 भू–खण्ड मोहिउद्दीन खॉ, पिता–स्व0 गुलाव खॉ, करबिगहिया, पटना के नाम पर वर्ष 1943–46 से 1946–49 के लीज पर दी गई। इस लीज डीड में अंकित लीज रेन्ट के आधार पर वर्ष 1943 से ही मनी रसीद निर्गत किया जाता रहा है। इससे साबित हो जाता है कि लीज कागजात फर्जी नहीं थे। रेन्ट का मनी रसीद निर्गत कर विभाग का स्वामित्व इस भू–खण्ड पर बरकरार रखा गया।

समीक्षा में पाया गया कि श्री पाण्डेय द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में स्वयं स्वीकार किया गया है कि तथाकथित लीज को समाप्त करने के लिए कार्यपालक अभियन्ता द्वारा वर्ष 2012–13 में वाद दायर किया गया था। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा इस भूमि को लीज पर दिये जाने की न तो कोई अनुमति दी गई और न ही स्वीकृति दिया गया था। श्री पाण्डेय द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिये इनके विरूद्व तथाकथित लीज को बिना जॉच पड़ताल के रेन्ट रसीद काटने का आरोप प्रमाणित पाया गया। वर्णित तथ्यों के आलोक में उक्त अवैध कार्य में इनकी संलिप्तता की पुष्टि होती है। प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1555 दिनांक 22.10.2014 द्वारा श्री पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः–

(1) दो वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

निलंबन अवधि के सेवा का निरूपण एवं वेतन भत्ता के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–11(5) के तहत नोटिस निर्गत किये जाने एवं नोटिस के आलोक में प्राप्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री पाण्डेय द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक शून्य दिनांक 28.11.14 समर्पित किया गया। श्री पाण्डेय से प्राप्त उक्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा के दरम्यान सरकार के संज्ञान में ऐसा कोई नया तथ्य पुनर्विलोकन अर्जी में नहीं पाया गया जिससे की उनके पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार योग्य माना जा सके। समीक्षोपरान्त श्री पाण्डेय से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने तथा विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1555 दिनांक 22.10.14 द्वारा संसूचित दण्ड को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री शशिरंजन कुमार पाण्डेय, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, नौबतपुर सम्प्रति कार्यपाालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, सालमारी, कटिहार से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक शून्य दिनांक 28.11.2014 को अस्वीकृत किया जाता है तथा विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1555 दिनांक 22.10.14 द्वारा संसूचित दण्ड (1) ''दो वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक'' को यथावत रखा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1117-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in